


नोटबंदी के बाद कैशलेस मिशन में शामिल होने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अर्थात् UIDAI ने भी कमर क्स ली है। आधार ऐप से लेकर एजेंसी की बाकी चुनौतियों पर UIDAI के सीईओ **अजय भूषण पांडे** से बातचीत की **अमित मिश्रा** ने



क्या आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद आधार नंबर से जुड़ा ऐप लाने में देरी हो गई?

मेरा ऐसा मानना नहीं है। हमारा इस प्रोजेक्ट पर काम काफी दिनों से चल रहा था। इसे हम अपने तय वक्त पर ही ला रहे हैं और जल्दी ही आधार नंबर आधारित ऐप लोगों को बीच होगा।

बाकी ऐप से यह कैसे अलग है?

इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर केवल दुकानदारों को ही तैयारी करनी होगी। खरीदार सिर्फ आधार नंबर से अपने स्थाने को अटैच करवा कर बायोमैट्रिक डिवाइस पर अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट या आइसिस्स क्लैन करवा कर पेमेंट कर सकता है। ये पेमेंट रीयल टाइम होंगे, मतलब जैसे ही कस्टमर पेमेंट करेगा, फौरन पैसा दुकानदार के अकाउंट में पहुंच जाएगा।

फिलहाल इसमें खरीदार और दुकानदार

से किसी तरह का चार्ज नहीं लिया

जाएगा।

क्या फीचर फोन के जरिए भी इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है?

फिलहाल इसे इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी। हम फीचर फोन के जरिए भी इसे इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

क्या यह हर तरह के फोन में चल सकता है?

फिलहाल आधार सिर्फ एंड्रॉयड के 4.0 या उससे ऊपर के वर्जन में ही चल सकता है। इसे आईओएस पर भी अगले साल तक लाने का प्लान है।

इस ऐप में डेटा किनना सिक्योर है?

ऐप परी तरह से एन्क्रिप्टेड है।

बायोमैट्रिक डिवाइस पर स्कैन होते ही डाटा एन्क्रिप्ट हो जाता है और उसे सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं।

क्या आप बायोमैट्रिक डिवाइस को दुकानदारों को उपलब्ध करवाने की कोई पहल कर रहे हैं, सब्सिडी आदि जैसी कोई मदद कर रहे हैं?

हम ऐसा नहीं कर रहे। वैसे भी जब इस्तेमाल बढ़ जाएगा तो जो बायोमैट्रिक डिवाइस अभी 1500-2000 रुपये की मिलती है, उसकी कीमत गिरकर 500 रुपये तक आ जाएगी।

देशभर में डेटा और डिवाइसेज की पहुंच काफी सीमित है। ऐसे में आपको इसकी सफलता को लेकर

कितने निश्चिंत हैं?

जहां तक बात डेटा और डिवाइसेज की उपलब्धता की है तो हम सिर्फ आधार नंबर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी हैं, बाकी का काम संबंधित एजेंसियों पर है। हम पूरी तरह निश्चिंत हैं कि उनके सहयोग से यह ऐप काफी पॉपुलर होगा।

कोर्ट ने आधार कार्ड की सीमाओं को लेकर सवाल उठाए हैं और इसके इस्तेमाल को लेकर टिप्पणी की है। आपका क्या मानना है?

कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ भी कहना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिलहाल एक्ट के हिसाब से भी इसे बनवाना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इसके बने होने पर सहूलियतें ज़रूर बढ़ेंगी। इसे बनवाने में भी दिक्कतों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। इसे कहां बनवाएं, इसकी जानकारी पहले वेबसाइट पर मिल जाती थी। अब वह भी नहीं है।

क्या कोई ऐसी जगह है, जहां कभी भी जाकर आधार बनवाया जा सकता है?

हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस या डीसी ऑफिस से इसे कभी भी बनवाया जा सकता है।

इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि गैरकानूनी रूप से देश में रह रहे बंगलादेशियों ने भी आधार बनवा लिया है। इस पर क्या कहना है?

जिसके पास भी आधार बनवाने के लिए ज़रूरी कागजात होंगे हम उसे आधार नंबर देंगे। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि वह डॉक्युमेंट वह कहां से लाया है। हमारी भी कुछ सीमाएं हैं।

कोई भी स्टार्टअप आधार नंबर या बायोमैट्रिक डेटा पर आधारित कोई ऐप बनाना चाहे तो क्या उसे अधिकारी सहयोग करेगी?

हाँ, उसका भी सिस्टम है। वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ट्रायल के लिए हमने एपीआई पर सीमित एक्सेस उपलब्ध करवा रखी है।

जो पार्टी पहले विषय में रह कर आधार का विरोध कर रही थी अब वह सरकार में है। इससे आधार के मिशन में कोई बदलाव आया है?

हम एक सरकारी एजेंसी हैं और सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सरकार कोई भी हो हमें सभी से हमेशा पूरा सहयोग मिलता रहा है।